दिनांक: 09-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल सहारनपुर पुलिस द्वारा हाइवे पर स्टोर के चौकीदार को बन्धक बनाकर लूट करने वाले गैंग का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 18.03.2024 को वादी श्री शुभम त्यागी पुत्र श्री श्रवण कुमार त्यागी निवासी पुण्डैन थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा हाइवे पर स्थित स्टोर मे नियुक्त चौकीदारों को बन्धक बनाकर 120 एंकर कोन, 80 पीस एंकर स्लीव, 200 किलोग्राम नट बोल्ट, सरिया व कुछ फोल्डिंग मटैरियल, समर सेविल मोटर, सेटरिंग प्लेट व अन्य सामान लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर **मु0अ0सं0 53/24 धारा 392 भादवि** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त लूट की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर सम्बन्धित को टीम गठित कर लूट की घटना कारित करने वाले अज्ञात अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बोद्ध के कुशल नेतृत्व में विवेचना के दौरान उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 10 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आयें। जिनमें से 09 अभियुक्तगणों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर **धारा 392** भादवि का विलोप किया गया तथा अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 395/412 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम प्रचलित रही । आज दिनांक 09.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **मोहसीन पुत्र रशीद निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद** को ग्राम ताजपुर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **01 तमंचा 315 बोर 01 जिंदा कारतूस 315 बोर** बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि हमारा एक गिरोह है जिसमे हम लोग जनपद गाजियाबाद, मेरठ व मुजफ्फरनगर के रहने वाले है हम लोग पहले भी जनपद गाजियाबाद ,मेरठ, मुजफ्फरनगर मे भी घटना कर चुके है। दिनाँक 17/18-03.2024 की रात्री मे भी मैने अपने साथियो के साथ मिलकर देवबन्द सहारनपुर रोड पर बन रहे हाइवे पर स्थित लोहे की दुकान पर चौकिदारों को बन्धक बनाकर सरिया एवं लोहे का अन्य सामान लूटा था । लूटा गया सामान हम लोगो ने एक कबाडी को बेच दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

मोहसीन पुत्र रशीद निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 ओमेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।

दिनांकः 09.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिक लडकी के साथ छेडछाड के आरोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 29/04/24 को वादिया मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **दीपक पुत्र मैनपाल निवासी गढी मलूक नम्बर- 2 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** द्वारा दिनांक 12/04/24 को घर में आकर वादिया की नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर **मु0अ0स0 97/24 धारा 452/354(क) व 7/8 पाक्सो अधिनियम** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए नामित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.05.24 को मुकदमा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा नामित अभियुक्त दीपक उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र मैनपाल निवासी गढी मलूक न0 2 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. पीआरडी प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 09-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड करने का 01 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 08.05.2024 को वादी द्वारा थाना सदर बाजार उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 1.रजनीश पुत्र लिखत 2.सन्दीप पुत्र लिखत 3.गुलशन पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण जन्धेडी थाना सदर जनपद सहारनपुर 4.कपिल पुत्र नरेश निवासी मवीखुर्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के रिश्तेदार व वादी की की पुत्री माया उम्र 17 वर्ष को घर मे जाकर गाँली गलौच कर मारपीट करना व अभियुक्त रजनीश द्वारा वादी की बेटी से छेडछाड कर अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 262/24 धारा 323/504/506/341/354/352 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.05.2024 उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **रजनीश पुत्र लिखत निवासी जन्धेड़ी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को भटटे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रजनीश पुत्र लिखत निवासी जन्धेड़ी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त रजनीश का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 262/24 धारा 323/504/506/341/354/352 भादवि व 7/8 पोस्को थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 201/023 धारा 354(क) 363 भादवि व 7/8 पोस्को थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

3 . है0का0 224 रोबिन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।